# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2013/एफसीए/प्रमुवसं/ 5051 दिनांकः 5.9.2015

निदेशक
खान एंव भू–विज्ञान विभाग,
उदयपुर ।

विषयः–वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः–आपका पत्रांक निदे/अनिखा/डाय/मीस/पार्ट–II/ 2006/1713 दि. 31.10.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जैसा कि विदित है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई–दिल्ली के दिशा निर्देश पत्रांक 11–232/2014–एफसी (पार्ट) दिनांक 24.7.14 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव दि. 15.8.2014 से मंत्रालय के वेबपोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से ही संबंधित विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि (खान ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क. प. 14 (3) खान/ग्रुप–2/2004 दि. 3.6.04 एवं संशोधित आदेश दि. 28.6.04 से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि में स्थित खननपट्टा क्षेत्रों के वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से भिजवाने हेतु अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था एंव इसी प्रकिया के तहत इन प्रकरणों में अब तक कार्यवाही की जा रही थी।

उक्तानुसार नई व्यवस्था के तहत ऑनलाईन माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण यथा नवीन प्रस्ताव, नवीनीकरण ऑफ डायवर्जन के प्रस्ताव एवं प्रोस्पेक्टिंग, सर्वे कार्य संबंधी प्रस्तावों को ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

A. यूजर एजेंसी अर्थात लीजधारक द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव की दो हार्ड प्रति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी जिसमें वांछित तथ्यों का परीक्षण आप द्वारा निम्न बिन्दुओं को समाहित करते हुए किया जायेगाः–

(i)- प्रस्तावों का परीक्षण विभिन्न न्यायालयों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अरावली श्रेणी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत किया जावेगा ।

(ii)- अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में लीज का परीक्षण किया जावेगा ।

(iii)- विभिन्न वचनबद्धताऐं (Undertakings)

(a) गैर वनभूमि (NFL) उपलब्ध कराने हेतु
(b) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा कराने बाबत
(c) अन्य समस्त धनराशि यथा पी.सी.ए. (दण्डात्मक) सैफ्टीजोन आदि जमा कराने बाबत।
(d) लीज के निकटवर्ती क्षेत्रों में उस खनिज की अनुपलब्धता बाबत सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र
(e) नेट प्रजेंट वैल्यू (एनपीवी) जमा कराने बाबत।

(iv) खनन् लीज की अवधि
(v) अन्य कोई सूचना (Any other input)
(vi) एफसीए, क्लीयरेंस हेतु आपकी स्पष्ट अभिशंषा ।

उपरोक्त सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए उक्त प्रस्ताव की एक हार्ड प्रति खान विभाग इस कार्यालय को पत्र के साथ अग्रेषित करेगा जिसमें ऑनलाईन प्रस्ताव का यूआईडी नंबर भी अंकित होगा एवं उक्त पत्र की प्रति लीजधारक को दी जावेगी। यूजर एजेंसी/लीजधारक द्वारा इस पत्र को ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ अतिरिक्त सूचना में अपलोड करने पर इस विभाग द्वारा प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

.....PTO

E/: Office documents/c

यह भी उल्लेखनीय है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट rajforest.nic,in departmental wings-forest conservation - order & circulars पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है।

भवदीय,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2013/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षगण..... ।
4. अति0 निदेशक (खान), सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/c